



भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की
INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY ROORKEE

सिविल अभियांत्रिकी विभाग
DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING

रूड़की - 247 667, उत्तराखण्ड, भारत
ROORKEE-247 667, UTTARAKHAND, INDIA

Fax/फैक्स : 01332-275568, 273560

Tele/टेली : 01332-284319, 285219

E-mail/ई-मेल: civil@iitr.ac.in

No. CED/MAI/NNC/PPPL/02B

Dated: 28th October 2023

M/s Purvanchal Projects Private Limited
N-4, Purvanchal House, Sector-18
Noida, Gautam Buddha Nagar
Uttar Pradesh-201301

SUB: Vetting of the Structural Design of Proposed Residential and Commercial Mix Land use Building at Plot No.F-7, CG City Chak Gajaria, Sultanpur Road, Scheme - Lucknow (U.P.) for M/s. Purvanchal Projects Pvt. Ltd.

REF: Structural Design and Drawings Submitted by the Structural Consultants NNC Design International, Okhla, New Delhi

Dear Sir,

It is certified that the structural design and drawing of the Proposed Residential and Commercial Mix Land use Building (Purvanchal CG City) at Plot No.F-7, CG City Chak Gajaria, Sultanpur Road, Scheme - Lucknow (U.P.) for M/s. Purvanchal Projects Pvt. Ltd. have been checked for submission purpose and found to be conforming to codes of practice as per Indian standard, on the basis of design data and area provided by Architect-Mr. Arun Patwal (M/s. Developments Consultant) & Structure consultant - Mr. Maqsd E Nazar (M/s. NNC Design International).

Building	F.A.R. Area (sqm.)	Total Covered Area (sqm.)
Tower-01, B+Gr+8 Floor (Commercial)	6,055.62	8,148.40
Tower-02, 2B+Gr+26 Floor (Residential)	33,028.40	53,857.71
	39,084.02	62,006.11

It is clarified that the scope of vetting is limited to the desk-top study of structural design and drawings based on the data provided by you through your consultant, and is the professional opinion of the undersigned in the capacity of faculty of Dept. of civil Engineering, IIT Roorkee and not of IIT Roorkee. Further, it does not include implementing structural drawings at the site. Neither ensuring quality during construction in the abovementioned project.

The undersigned assumes no responsibility for the compliance with local, state or national building bye-laws or with any other legal requirements or of safety aspects during construction of the said building. It is expected to use specified material grades, proper quality control and construction practices.


M. A. Iqbal
Professor
M. A. Iqbal
Professor
Department of Civil Engineering
Indian Institute of Technology Roorkee
Roorkee-247 667, Uttarakhand, INDIA



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/110923/824534

* जैसा आवेदक द्वारा उपलब्ध कराया गया / As provided by applicant*

3) यह अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित नियम व शर्तों के अधीन है: -

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

क) आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक को, प्रस्तावित संरचना हेतु अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई जारी करने के लिए प्रयोग किया गया है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए स्थल की ऊँचाई तथा निर्देशांक की यथार्थता का ना तो उत्तरदायित्व वहन करता है, और ना ही इनको प्रमाणीकृत करता है। यदि किसी भी स्तर पर यह पता चलता है कि वास्तविक विवरण, आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण से भिन्न है, तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र अमान्य माना जाएगा तथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। सम्बंधित विमान क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी द्वारा एयरक्राफ्ट नियम 1994 (भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन कार्यवाही की जायगी।

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The officer in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994",

ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन में आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए स्थल निर्देशांक को सड़क दृश्य मानचित्र और उपग्रह मानचित्र पर अंकित किया गया है जैसा कि अनुलग्नक में दिखाया गया है। आवेदक / मालिक यह सुनिश्चित करे कि अंकित किए गए निर्देशांक उसके स्थल से मेल खाते हैं। किसी भी विसंगति के मामले में, नामित अधिकारी को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए अनुरोध किया जाएगा।

b. The Site coordinates as provided by the applicant in the NOC application has been plotted on the street view map and satellite map as shown in ANNEXURE. Applicant/Owner to ensure that the plotted coordinates corresponds to his/her site. In case of any discrepancy, Designated Officer shall be requested for cancellation of the NOC.

ग) एयरपोर्ट संचालक या उनके नामित प्रतिनिधि, अनापत्ति प्रमाण पत्र नियमों और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल (आवेदक या मालिक के साथ पूर्व समन्वय के साथ) का दौरा कर सकते हैं।

c. Airport Operator or his designated representative may visit the site (with prior coordination with applicant or owner) to ensure that NOC terms & conditions are complied with.

घ) संरचना की ऊँचाई (सुपर स्ट्रक्चर सहित) की गणना अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (ए एम एस एल) से स्थल की ऊँचाई को घटाकर की जायेगी। अर्थात्, संरचना की अधिकतम ऊँचाई = अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई (-) स्थल की ऊँचाई।

d. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

च) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना, भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1934, के सैक्शन 9-A तथा इसके अंतर्गत समय-समय पर जारी अधिसूचनाएं तथा एयरक्राफ्ट नियम (1994 भवन, वृक्षों आदि के कारण अवरोध का विध्वंस) के अधीन है।

e. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including, "The Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994".

छ) कोई भी रेडियो/ टीवी एन्टीना, लाइटनिंग अरेस्टर, सीढ़िया, मुम्टी, पानी की टंकी अथवा कोई अन्य वस्तु तथा किसी भी प्रकार के संलग्नक उपस्कर पैरा 2 में उल्लेखित अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई से ऊपर नहीं जानी चाहिए।

f. No radio/TV Antenna, lightening arresters, staircase, Mumty, Overhead water tank or any other object and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation as indicated in para 2.

ज) विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु के 8 KM के भीतर तेल, बिजली या किसी अन्य ईंधन का उपयोग जो उड़ान संचालन के लिए धुएं का खतरा पैदा नहीं करता है, ही मान्य है।

g. Use of oil, electric or any other fuel which does not create smoke hazard for flight operation is obligatory, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point

झ) यह प्रमाणपत्र इसके जारी होने की तारीख से 8 साल की अवधि के लिए वैध है। एक बार रिवेलीडेशन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि इस तरह का अनुरोध एनओसी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर किया जाए और प्रारंभिक प्रमाणपत्र 8 साल की वैधता अवधि के भीतर प्राप्त किया जाए।

h. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One-time revalidation shall be allowed, provided that such request shall be made within six months from the date of expiry of the NOC and commencement certificate is obtained within initial validity period of 8 years.

ट) भवन के निर्माण के दौरान या उसके बाद किसी भी समय स्थल पर ऐसी कोई भी लाइट या लाइटो का संयोजन नहीं लगाया जाएगा जिसकी तीव्रता, आकृति या रंग के कारण वैमानिक ग्राउन्ड लाइटों के साथ भ्रम उत्पन्न हो। विमान के सुरक्षित प्रचालन को प्रभावित करने वाली कोई भी गतिविधि मान्य नहीं होगी।

i. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.

ठ) आवेदक द्वारा विमानपत्तन पर या उसके आसपास विमान से उत्पन्न शोर, कंपन या विमान प्रचालन से हुई किसी भी क्षति के विरुद्ध कोई शिकायत/दावा नहीं किया जाएगा।

j. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.

ड) डे मार्किंग तथा सहायक विद्युत आपूर्ति सहित नाइट लाइटिंग (डीजीसीए भारत की वेबसाइट www.dgca.nic.in पर उपलब्ध) नागर विमानन आवश्यकताएं श्रंखला 'बी' पार्ट I सैक्शन-4 के चैप्टर 6 तथा अनुलग्नक 6 में विनिर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी।

k. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in

ढ) भवन के नक्शे के अनुमोदन सहित अन्य सभी वैधानिक अनापत्ति, संबंधित प्राधिकरणों से लेना आवेदक की जिम्मेदारी होगी, क्योंकि इस ऊँचाई हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने का उद्देश्य सुरक्षित एवं नियमित विमान प्रचालन सुनिश्चित करना है तथा इसे भूमि के स्वामित्व आदि सहित किसी अन्य उद्देश्य/ दावे के लिए दस्तावेज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता।

l. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is only to ensure safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.

ण) इस अनापत्ति प्रमाणपत्र आईडी का मूल्यांकन Lucknow विमानक्षेत्रों के संबंध में किया गया है। यह अनापत्ति प्रमाणपत्र भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के विमानक्षेत्रों और अन्य लाइसेंस प्राप्त सिविल विमानक्षेत्रों, जो जी. एस. आर. 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची - III, अनुसूची - IV (भाग- I), अनुसूची- IV (भाग -2; केवल RCS हवाई अड्डे) और अनुसूची- VII में सूचीबद्ध हैं, के लिए जारी किया गया है।

m. This NOC ID has been assessed with respect to the Lucknow Airports. NOC has been issued w.r.t. the AAI Aerodromes and other licensed Civil Aerodromes as listed in Schedule - III, Schedule - IV (Part-I), Schedule- IV (Part-2; RCS Airports Only) and Schedule-VII of GSR 751(E) amended by GSR 770(E)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/110923/824534

त) यदि स्थल रक्षा विभाग के विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, जैसा कि जीएसआर 751 (ई) की अनुसूची-V में सूचीबद्ध है, तो आवेदक को रक्षा विभाग से अलग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होता है। जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के नियम 13 के अनुसार, आवेदकों को उन स्थलों के लिये, जो जीएसआर 751 (ई) जी. एस. आर. 770 (ई) द्वारा संशोधित के अनुसूची-IV (भाग -2; आरसीएस हवाई अड्डों के अलावा) के रूप में सूचीबद्ध बिना लाइसेंस वाले विमान क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो संबंधित राज्य सरकार से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता है।

n. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within the jurisdiction of Defence Aerodromes as listed in Schedule – V of GSR 751 E amended by GSR770(E). As per rule 13 of GSR 751 E amended by GSR770(E), applicants also need to seek NOC from the concerned state government for sites which lies in the jurisdiction of unlicensed aerodromes as listed in Schedule-IV (Part-2; other than RCS airports) of GSR 751 E amended by GSR770(E)

थ) अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की किसी भी त्रुटि/व्याख्या की स्थिति में अंगरेजी अनुवाद ही मान्य होगा।
o. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.

द) स्थल की ऊँचाई और/या संरचना की ऊँचाई के किसी भी विवाद में अनुमन्य अधिकतम ऊँचाई एएमएसएल में ही मान्य होगी।
p. In case of any dispute with respect to site elevation and/or AGL height, Permissible Top Elevation in AMSL shall prevail.



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/110923/824534

क्षेत्र का नाम / Region Name:

उत्तर/NORTH

पदनामित अधिकारी/Designated Officer	
नाम/ पदनाम/दिनांक सहित हस्ताक्षर Name/Designation/Sign with date	<p>U. D. Baruah 30.11.23 कृपल दत्ता बरुआ / KUPAL DUTTA BARUAH महाप्रबंधक (एटीएम)/General Manager (ATM) उत्तरी क्षेत्र/ Northern Region</p>
द्वारा तैयार Prepared by	<p>अशोक 30/11/2023 Narendera Dev ATM (ATM)</p>
द्वारा जांचा गया Verified by	<p>Yashwanth 30/11/2023 Yashwanth-Sharma JAM (ATM)</p>

ईमेल आईडी / EMAIL ID : noc_nr@aai.aero

फोन/ Ph: 011-25653551

ANNEXURE/अनुलग्नक

Distance From Nearest Airport And Bearing/निकटतम विमानक्षेत्र से दूरी और बीयरिंग

Airport Name/ विमानक्षेत्र का नाम	Distance (Meters) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से दूरी (मीटर में)	Bearing(Degree) from Nearest ARP/निकटतम विमानक्षेत्र संदर्भ बिंदु से बीयरिंग (डिग्री)
Lucknow	13945.06	70.12
NOCID	LUCK/NORTH/B/110923/824534	

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

फाइल नं. :- एएआई/आरएचक्यू/एनआर/एटीएम/एनओसी/2023/833/3395-92


1. निदेशक विमानपत्तन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, अमौसी हवाई अड्डा, लखनऊ, उत्तरप्रदेश ।
2. लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ उत्तरप्रदेश।
3. सुरक्षा फाइल ।



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

LUCK/NORTH/B/110923/824534

Street View



November 7, 2023

1:3,000
0 0.5 1.0 1.5 Km
0 0.5 1.0 1.5 Miles
Source: © 2023 Google, © 2023 Imagery © 2023 Aerial, © 2023 Map Data © 2023 Google, © 2023 Imagery © 2023 Aerial, © 2023 Map Data © 2023 Google

Satellite View



November 7, 2023

1:3,000
0 0.5 1.0 1.5 Km
0 0.5 1.0 1.5 Miles
Source: © 2023 Google, © 2023 Imagery © 2023 Aerial, © 2023 Map Data © 2023 Google

प्रारूप-घ (संलग्नक-3)

औपबन्धिक (प्रोविजनल) अनापत्ति प्रमाणपत्र

यूआईडी संख्या: UPFS/2024/108040/LCK/LUCKNOW/5239/JD

दिनांक: 12-02-2024

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **PURVANCHAL C.G.CITY** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **PLOT NO- F-7, C.G .CITY, CHAK GAJARIA, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW** तहसील - **SAROJNINAGAR** प्लॉट एरिया **10508.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **49282.05** (वर्गमीटर), ब्लॉकों की संख्या **2** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	वेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
TOWER 01 COMMERCIAL AND HOTEL	9	1	35.60 mt.
TOWER 02 RESIDENTIAL	27	2	95.50 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **PURVANCHAL C.G.CITY** द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं का प्राविधान एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार किया गया है। इस भवन को औपबन्धिक अनापत्ति प्रमाणपत्र, एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Residential** के अन्तर्गत इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में अधिभोग श्रेणी के अनुसार सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं के मानकों का अनुपालन पूर्ण रूप से किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। ऐसा न करने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **PURVANCHAL C.G.CITY** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होंगे।

Note : अग्निशमन अधिकारी /मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा प्रेषित स्थलीय भौतिक निरीक्षण संस्तुति आख्या व अपलोडिड मानचित्रों के अनुसार सम्बन्धित सक्षम सत्ता प्राधिकारी को यह प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि उपरोक्त भवन के अध्यासन/ प्रयोग से पूर्व समस्त अग्निशमन व्यवस्थाएं मानको के अनुसार अधिष्ठापित कराया जाना अनिवार्य है, यदि भवन स्वामी द्वारा बिना व्यवस्थाओं के अध्यासन किया जाता है, तो भवन के असुरक्षित अध्यासन हेतु सत्ता प्राधिकारी निगरानी रखे।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(Aman Sharma)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15-02-2024
स्थान : LUCKNOW

[A0269865B740788D0DE1F7D7C6707A357F263D40]

15-02-2024

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर सर्विस

मेरठ/सहारनपुर

परिक्षेत्र।

पत्रांक:2024/108040/एलसीके/लखनऊ/5239/जे0डी0

दिनांक: फरवरी 16 2024,

सेवा में,

स्वामी/प्रबन्धक,

**M/S-PURVANCHAL PROJECTS PVT LTD.
PLOT NO-F-7, C.G. CITY, CHAK GAJARIA,
SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.**

विषय:-

**M/S-PURVANCHAL PROJECTS PVT LTD.(Purvanchal CG City) PLOT NO-F-7,
C.G. CITY CHAK GAJARIA, SULTANPUR ROAD, LUCKNOW.** उ0प्र0 में प्रस्तावित
गुप हाऊसिंग आवासीय भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में नाम एवं कवर्ड एरिया
सम्बन्धी संशोधन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:

यूआईडी:2024/108040/एलसीके/लखनऊ/5239/जे0डी0 दिनांक: 12-02-2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 16-02-2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके
द्वारा अवगत कराया है कि यूआईडी:2024/108040/एलसीके/लखनऊ/5239/जे0डी0 दिनांक: 15-02-2024 के माध्यम से
ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रारूप में प्रोजेक्ट का नाम एवं कुल कवर्ड एरिया त्रुटिवश गलत अंकित हो जाने
के कारण संशोधित पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

ऑनलाइन प्रोवीजनल प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक अभिलेखों यथा मानचित्रों के अनुसार निम्नांकित प्रस्तावित
कवर्ड एरिया एवं नाम सम्बन्धी संशोधित विवरण निम्नवत है:-

क्र0	नाम एवं कवर्ड एरिया का विवरण	
स0	ऑनलाईन निर्गत एन0ओ0सी0 के अनुसार	संशोधन के उपरान्त
01	भवन नाम नाम M/S-PURVANCHAL C.G. CITY,	M/S-PURVANCHAL PROJECTS PVT LTD.
02	कुल कवर्ड एरिया-49282.05 वर्ग मीटर।	कुल कवर्ड एरिया-62006.11 वर्ग मीटर।

अतः उपरोक्त भवन को ऑनलाईन निर्गत प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र में तदनुसार संशोधन समझा जाये,
तथा शेष शर्तें दिनांक: 15-02-2024 को ऑनलाईन निर्गत (प्रोवीजनल) एन0ओ0सी0 के अनुसार ही अनुमन्य होगी।

(अमन शर्मा)

उपनिदेशक, फायर सर्विस,
मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।



English



पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
Ministry of Environment, Forest and Climate Change



[BACK](#)

[View Proposal](#)

[View Documents](#)

Proposal Details

Proposal No.:

SIA/UP/INFRA2/468042/2024

Single Window No.:

SW/176919/2024

CAF No.:

CAF/162286/2024

Project Name:

Proposed Commercial and Residential Project "Purvanchal Royal Atlantis" at Plot No. F-7, C.G. City, Chak Ganajaria, Sultanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh by M/s Purvanchal Projects Pvt Ltd

State:

UTTAR PRADESH

Proposal For:

Fresh EC

Activity:

8(a) Building / Construction

Sector:

INFRA2

Application For:

Application for ToR (Category A, B1, and B2 Violation)/EC (Category B2) - Form 1

Date of Submission:

01/04/2024

Proposal History/Timeline

[Preview](#)

Under Verification

01/04/2024-N/A

Start Date

01/04/2024

End Date

N/A

Submitted

01/04/2024-01/04/2024

Start Date

01/04/2024

End Date

01/04/2024